

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प.6(4)(1)/ए.सी.आर./अभि./89/3419-31

दिनांक- 20.5.20

-संशोधित आदेश-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.6(4)(1)ए.सी.आर./अभि./89/3036-3106 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबंध में प्रक्रिया (चैनल) निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 02.03.2020 के क्रम संख्या 13 पर अंकित प्रक्रिया (चैनल) में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी	कार्यालय जहां वा.का.मू. प्रतिवेदन रखे जाने है।
13.	वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक	उप निदेशक अभियोजन (संबंधित)	अति० निदेशक अभियोजन (अभि.)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
		सहायक निदेशक अभियोजन (संबंधित)	उप निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)		



(पी.सी.ब्रैस्वाल)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. शासन सचिव गृह विभाग।
3. विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि) विभाग।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.)
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (न्याय/अभि०)
9. निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
10. संस्थापन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
11. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान। (मुख्यालय सहित)
12. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, भ्र०नि०ब्यूरो/सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान।
13. समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान।
द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला मुख्यालय।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर